P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February (Part2) * 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में सूचना का अधिकार

महेश कुमार मीना
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जयनारायण व्यास
विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

सूचना पाने का मनुष्य को मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया। इसी को लेकर लगभग विश्व में सभी जगह कमी रही और जहां भी जनता–जागरूक रही। वहां इस अधिकार को प्राप्त करने में सफलता मिली। सूचना के अधिकार को लेकर विश्व के विभिन देशों में समय–समय पर कानून बने। स्वीडन सूचना के अधिकार का कानून लगाने वाला विश्व का पहला देश है। दक्षिणी गोलार्द्व के विकासशील देशों में तो सूचना के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई उनके लिए सूचना के अधिकार से बड़ी लड़ाई है। भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आजादी मिलने के लगभग पांच दशक बाद सुनियोजित रूप से प्रारम्भ हुआ।

मुख्य शब्द : अधिकार,स्वतंत्रता, पारदर्शिता।

प्रस्तावना

भारत में सूचना के अधिकार की मांग सत्तर के दशक में उस समय उठने लगी थी जब दिल्ली के चर्चित चोपड़ा हत्याकाण्ड के बाद 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पत्रकार ने खूँखार अपराधियों रंगा–बिल्ला से जेल में साक्षात्कार हेतु प्रशासन से इस आधार पर अनुमति चाही थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना की प्राप्ति समाहित है। सन् 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ (ए.आई.आर.149) के मामले में कहा था– ''यदि एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वीकार करता है तो वहाँ के नागरिकों को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उनकी सरकार क्या कर रही है।'' न्यायालय का यह भी मानना था कि संविधान के अनुच्छेद–19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना जानने एवं प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसी प्रकृति के कुछ निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों में भी सुनाए गए। द्वितीय प्रेस आयोग (1978–82) की सिफासिशों में शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा–5 में बदलाव लाने तथा सूचना की स्वतंत्रता की बात कही गई। इस आयोग में पहले श्री पी.के.गोस्वामी को तथा बाद में आयोग का पुनर्गठन कर श्री के.के. मैथ्यू को अध्यक्ष बनाया गया। इसी क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनकर लाल मेहता ने जयपुर शहर की गन्दगी के बारे में दायर एक जनहित याचिका (एल.के. कूलवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1988, राज.2) के निर्णय में कहा था कि शहर के प्रत्येक नागरिक को शहर की गतिविधियों, प्रशासन के क्रियाकलापों तथा प्रयासों की जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

अध्ययन का उद्देश्य

यह सिद्धान्त आम आदमी को हर तरह की जानकारी प्राप्त करने के हक को बयान करते हैं व आसान बनाते हैं। अधिकारों का इस्तेमाल करें तो प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप ही सुधर सकती है। यदि लोग अपने अधिकार जानने लगेगें तो कोई उनसे जबरदस्ती रिश्वत नहीं ले सकता है। लोगों को अपने अधिकारों को जानने के लिए ही तो सूचना का अधिकार चाहिए। जनता के अधिकार क्या है जनहित में कौन सी योजनाऐ बनाई जा रही है ? यह जनता ही तो सूचना का अधिकार है।

विषय विस्तार

सन् 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह (राष्ट्रीय मोर्चा सरकार) ने स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए 'सूचना का अधिकार' को कानूनी रूप देने का समर्थन किया। सामान्यतः भारत में प्रशासनिक कार्यों की जानकारी आम जनता को प्रायः नहीं दी जाती है। इस राह में सबसे बड़ी बाधा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 रहा है जिसके अनुसार देश की एकता, अखण्डता तथा सम्प्रभुता की रक्षा के लिए शासन की नीतियों या प्रक्रियाओं की जानकारी जनसाधारण से छुपाकर रखी जाती है। व्यावहारिक स्थिति यह

है कि एकता, अखण्डता या सम्प्रभुता जैसे मुद्दों से कोसों दूर इस तरह की सूचनाएँ भी जनसाधारण को प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका राषनकार्ड कब तक बन जाएगा या वरिष्ठता सूची में उसका नाम कितने क्रमांक पर है तो इसमें राष्ट्र की सुरक्षा को क्या खतरा है? शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 भी सूचना के अधिकार की राह में एक बाधा है। इस कानून की धारा 123 के अनुसार राज्य के कार्यकलापों की जानकारी प्रषासनिक तंत्र से बाहर उजागर करना या न करना विभागाध्यक्ष पर निर्भर है। इसी तरह धारा 124 के अनुसार किसी अधिकारी (लोकसेवक) को शासकीय सूचनाएँ उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इन्हीं तथा असामयिक कानूनों एवं नियमों की आड़ लेकर भारतीय नौकरशाही शुतुरमुर्ग की प्रवृति अपनाए हुए कार्य करती रही है।

सन् 1991 के आर्थिक सुधारों ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण ने प्रवेश किया बल्कि इससे लोक प्रशासन की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली भी चुनौतियों से घिर गई। स्वायत्तता के साथ जवाबदेयता, पारदर्शिता, ईमानदारी तथा सुशासन को लेकर नित्य नए नारे लगने लगे। जुलाई, 1990 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में बनी प्रेस परिषद् ने सूचना के अधिकार के सुझाव दिए। मैग्ससे पुरस्कार विजेता अरूणा रॉय एवं उनके संगठन 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' को भारत में सूचना के अधिकार को जनान्दोलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। 7 दिसम्बर, 1994 को इस संगठन ने प्रथम बार रायपुर, पाली में सरकारी कार्यों एवं उनके व्यय की जन सुनवाई की शुरूआत की। अप्रैल, 1996 में राजस्थान के ब्यावर कस्बे में उपखण्ड अधिकारी को हजारों महिला एवं पुरूषों ने विकास कार्यों पर होने वाले व्यय का प्रमाणिक विवरण चाहने हेतु ज्ञापन सौंपा तथा इस मांग ने एक धरने एवं आन्दोलन का रूप ले लिया। परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा होने वाले विकास कार्यो का विवरण जनता को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया तथा इसी क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा 17 जून, 1996 को गठित अरूण कुमार समिति ने (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अगस्त,1996 में विकास कार्यों के रजिस्टर, मस्टररोल देखने तथा उनकी फोटो स्टेट प्रति प्राप्त करने का अधिकार जनता को देने की अनुशंसा की थी। राजस्थान सरकार द्वारा 30 दिसम्बर,1996 को पंचायती राज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का अधिकार जनसाधारण को दे दिया गया।

समय की मांग को देखते समय सन् 1996 के लोक सभा चुनावों के समय प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार को स्थान दिया। इसी दौरान 17 अप्रैल,1996 को राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाने वाले प्रथम राज्य का गौरव तमिलनाडू ने प्राप्त किया। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्मित तथा करूणानिधि सरकार द्वारा प्रस्तुत इस कानून का ड्राफ्ट पर्याप्त प्रभावी नहीं था। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भी जन सुनवाई जैसे आन्दोलन जड़ें जमाने लगे। सन् 1996 में सूचना के अधिकार की मांग के आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान की स्थापना की तथा न्यायामर्ति श्री पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार का ड्राफ्ट बिल तैयार कर भारत सरकार के पास भेजा। इस बिल में सुधार संशोधन सुझाने हेतु सरकार ने जनवरी–1997 में सामाजिक कार्यकर्त्ता एच.डी शौरी(कॉमन काज) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप मई,1997 में सरकार को सौंपा जिसमें देश की सुरक्षा से सम्बन्धित 11 क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर प्रशासन द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई थी। इसी बीच जुलाई, 1997 में गोवा की प्रतापसिंह राणे सरकार ने पहल करते हुए यह अधिकार प्रदान कर दिया। यद्यपि गोवा में सूचना के अधिकार को लेकर कोई आन्दोलन नहीं चल रहा था। इसी प्रकार 30, जनवरी 1997 को पाँचवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए 'सूचना के अधिकार' की क्रियान्विति की अनुशंसा की। इसी वर्ष उड़ीसा ने पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्राप्ति के नियम बनाकर पारदर्शिता की शुरूआत की। अक्टूबर, 1998 में मध्य प्रदेश के बिलासपुर के आयुक्त हर्ष मन्दिर ने बिलासपुर, सरगुजा तथा रूपगढ़ के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सूचनाएँ देने हेतु एक सरकारी आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा अप्रेल, 1998 में पारित सूचना का अधिकार विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त नहीं कर सका।

भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम, 1983 के माध्यम से कतिपय सूचनाएँ प्रदान किए जाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद था। लेकिन सूचना के अधिकार के इस आन्दोलन के दौरान 1998 में कर्नाटक के सिंचाई विभाग ने अपनी टेण्डर प्रक्रिया की समस्त सूचनाएँ जनता को देनी शुरू कर दीं। सन् 2000 में राजस्थान, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में तथा सन् 2001 में दिल्ली में सूचना के अधिकार के कानून लागू हुए। इसी प्रकार उसी समय, केरल, जम्मू कष्मीर तथा आन्ध्र प्रदेश में भी यह कानून के अधिकार कानून बनने के पश्चात मजदूर किसान शक्ति संगठन (देवडूँगरी, राजसमन्द) ने ग्राम पंचायत जनावद में हुए लाखों रूपयों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को उजागर कर इस पंचायत में दिनांक 03 अप्रैल 2001 को सार्वजनिक जन सुनवाई कर सूचना के अधिकार की उपयोगिता सिद्ध कर दी। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जाँच हेतु बनी बन्नालाल समिति (शासन उप सचिव, वित्त विभाग) की सिफारिश के पश्चात् आधा दर्जन लोक सेवकों को निलम्बित किया गया। समिति ने पाया कि इस ग्राम पंचायत में वर्ष 1994–95 से 1999–2000 तक कुल 141 निर्माण कार्यो (कुल व्यय 123.14 लाख) में 70 लाख रूपयों का गबन हुआ था। भारत के सन्दर्भ में सुखद आष्चर्य यह कि सूचना के अधिकार की लड़ाई ग्रामीण तथा निर्धन वर्ग द्वारा लड़ी गई। राष्ट्रीय स्तर पर अटल

बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार ने एच.डी. शौरी कार्यदल की रिपोर्ट पर 25 जुलाई 2000 को सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया जिसे गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने ठीक एक वर्ष पश्चात इसे संसद में प्रस्तुत किया जो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 के रूप में लागू हुआ किन्तु इस अधिनियम में आम जन द्वारा प्रशासन से सूचना मांगने का तो प्रावधान था किन्तु प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि वह सूचना दे। इस अल्प प्रभावी कानून की समूचे राष्ट्र में भारी आलोचना हुई। सन् 2004 में सत्ता में आयी संप्रग सरकार ने 23 दिसम्बर 2004 को नया सूचना का अधिकार विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। लम्बी बहस के पश्चात तथा 146 संशोधनों के साथ 11 मई, 2005 को लोक सभा ने इसे स्वीकृत किया और राज्य सभा ने इसे अगले ही दिन स्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति की अनुमति (15 जून, 2005) मिलते ही इसके कतिपय प्रावधान इसी दिन से तथा शेष प्रावधान 120 दिन (राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद के दिन) पश्चात लागू हुए। भारत सरकार के 21 जून, 2005 के राजपत्र में यह अधिनियम प्रकाशित हुआ। इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(2005 का 22वाँ) दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 (विजयदषमी) से सम्पूर्ण भारत (जम्मू कष्मीर को छोड़कर) में लागू हो गया। जम्मू कष्मीर कैडर के पूर्व आई.ए.एस. अधिकार वजाहत हबीबुल्ला देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए। राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने श्री वजाहत हबीबुल्ला को 26 अक्टूबर, 2005 को शपथ दिलवायी।[1]

प्लेटों ने स्टेट्समैन में स्पष्ट किया है कि जनतंत्र विधिसम्मत राज्य का निकृष्टतम किन्तु विधिविहीन राज्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। वस्तुतः बहुसंख्यक लोगों के द्वारा व्यवस्थित रूप में जब शासन संचालित किया जाता है तो वह संवैधानिक तंत्र कहता है। यह तंत्र तब तक फलदायी बना रहता है जब तक अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती अव्यवस्था के दौरान जब बहुसंख्यको के हितों की जाने लगती है तो यह शासन भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाता है अरस्तु ने इस भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी कहा है अरस्तु ने ही बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग डेमोक्रेसी के रूप में किया था लास्की का कथन सच है कि राजतंत्र ने अपने आपको जनता के हाथों में बेच दिया है। ब्रिटेन ने लोकतंत्रात्मक शासन पद्वति को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसको समृद्व भी किया इसलिए लॉक ने कहा था कि इग्लैण्ड की स्थिति आज मुकुटधारी गणतंत्र की है। यूरोप की इस लोकप्रिय शासन पद्वति के प्रति भारतीय जनमानस में गहरी रूचि थी जिसको 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्त किया था। लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया कि भारतीय जनता की भयंकर दरिद्रता विदेशियों द्वारा किये गये शोषण के कारण नहीं वरन समाज कि आर्थिक व्यवस्था के कारण भी है जिसका विदेशी शासक अपना शोषण जारी रखने के लिए समर्थन करते है। अतः इस दरिद्रता को दूर करने और भारत की सर्वसाधारण जनता की दशा सुधारने के लिए समाज की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेगें।

देखने और समझने की बात यह है कि आजादी प्राप्त करने से लेकर अब तक भारत में जो लोकतांत्रिक प्रयोग हुये है वे अपर्याप्त है देश विदेश में प्रजातंत्र के पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क वितर्क प्रस्तुत किये जाने के बावजूद लोकतंत्र आज भी लोकप्रिय शासन पद्धति है जिसको भारत ने न सिर्फ अपनाया है बल्कि परिपक्व एवं परिष्कृत किया है किन्तु भारतीय लोकतांत्रिक शासन में आज का आम आदमी हाषिये पर खड़ा है जो हमारे लोकतंत्र की खामी है। आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जनता के इस शासन में लोगों को अधिक से अधिक भागीदार कैसे बनाये जाये। सूचना का अधिकार इस क्षेत्र में एक कारगर उपाय है जिसकी सम्भावनाओं पर बींसवी सदी में बहस शुरू हुई थी। स्वस्थ लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बढावा देना और शासकों को उत्तरदायी बनाना जरूरी है इसके लिए बींसवी शताब्दी में दुनिया के बहुत से देशों ने अपने संविधान में सूचना के अधिकार को स्थान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस की महत्ता को स्वीकार करते हुये 1948 में मानवाधिकारों घोषणा पत्र के अनुच्छेद 4 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। इसके अलावा भी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों ने सूचना के अधिकार की वकालत की।[2]

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना के अधिकार की मांग एवं इसके बढ़ते हुये महत्त्व को देखते हुऐ 11 मई 2005 को भारतीय संसद द्वारा अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 15 जून 2005 को अनुमति प्रदान की गई एवं इसके साथ ही 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम जम्मू एवं कष्मीर के अलावा पुरे भारत के अस्तित्व में आ गया। इसी के साथ ही सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया। पिछले सात–आठ वर्षों में कुछ राज्यों ने अपने पारदर्शिता कानून बनाये थे इन में गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सम्मिलित थे। लेकिन इन में से कुछ को छोड़कर अन्य राज्यों में यह कानून कमजोर था इनके जरिये सूचना तक पहुँच की ठोस सुविधा नहीं थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 केन्द्र और सभी राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारी निकायों पर लागू है और कार्यपालिका के अलावा न्यायपालिका व विधायिका भी इसके अधिकार क्षेत्र में आती है यह सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वित्तपोषित निकायों तथा गैरसरकारी संस्थाओं तथा सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्याप्त सहायता पाने वाली अन्य निजी संस्थाओं पर भी लागू होता है। इसके अतरिक्त यह कानून निजी क्षेत्र पर भी लागू होगा कारण कि इसमें व्यवस्था है कि नागरिक वे सभी सूचनाऐं पाने के हकदार होंगे जो खुद सरकार को मौजूदा कानून के तहत मिल सकती है ऐसी सम्भावना है कि रियायती दरों पर या सब्सिडी सहित भूमि पाने वाले या अन्य बातों के अलावा कर रियायत पाने वाले प्राइवेट स्कूल, अस्पताल अथवा अन्य व्यापारिक संस्थान भी इसके दायरे में आयेंगे। आम जनता को सरकार से सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित सूचना का अधिकार(सूचना की स्वतंत्रा अधिनियम–2002) भारतीय संसद ने 16 दिसम्बर 2002 में

पारित किया था इस पर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 6 जनवरी–2003 को होकर यह अधिनियम बना व लागू हुआ इस अधिनियम की एक संघर्ष भरी कहानी है।

सन् 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी दलों ने सूचना के अधिकार को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। खण्डित जनादेश के चलते 14 दलों के गठबन्धन वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इस मोर्चा ने अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नाम परिपत्र जारी किया इस परिपत्र में सूचना का अधिकार विधेयक तैयार कर 6 माह के अन्दर उसे संसद में प्रस्तुत करने की बात कही गई थी। एच.डी. देवगोड़ा एवं इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने सूचना का अधिकार संदर्भ में काफी पहल की थी।

भारतीय प्रेस परिषद ने सितम्बर–1996 में सूचना के अधिकार का एक मॉडल तैयार किया यह मॉडल प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्याय मूर्ति पी.वी सावन्त की अध्यक्षता में तैयार हुआ। प्रेस परिषद् ने इस विधेयक के प्रारूप को कानून बनाने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। भारत सरकार ने एक नई समिति बनाकर इस विधेयक के प्रारूप को जाँच पड़ताल के लिए सौंप दिया। उपभोक्ता संरक्षक एक गैरसरकारी संस्था के निदेशक, अवकाश प्राप्त आई.ए.एस. अधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार अरूण शौरी के पिता एच.डी शौरी, इस सदस्यीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये। कानूनविद् सोली सोराबजी को छोड़कर इस समिति के सभी सदस्य नौकरशाही के ही प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पी.वी.सावन्त, प्रषासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सुन्दरम तथा उपभोक्ता मामलों में सम्बन्धित विभाग के संचिव ए. के.वेकटसुब्रह्मयम् से विस्तृत राय–मश
ाावरा कर समिति ने मई 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।[3]

35 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट में फ्रीडम ऑफ इन्फार्मेशन विधेयक के प्रारूप के अलावा करीब दस पृष्ठों में कानून बनाने की भूमिका का वर्णन भी किया गया है। रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123 एवं 124 सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की धारा 5 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाऐं नियम 1964 में सुझायें गये संशोधनों का भी वर्णन है। प्रेस परिषद् नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डवलपमेंट के सहयोग से अपने 1996 के मॉडल विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान किया और उसे भारत सरकार को सौंप दिया। सरकार इस प्रारूप पर अपना कोई निर्णय लेती कि उस के पूर्व ही केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार असमय भंग हो गई इस तरह सूचना के अधिकार का विधेयक का मामला एक बार पुनः लटक गया। कई वर्षों के बाद 16 दिसम्बर–2002 को संसद ने सूचना अधिकार अधिनियम 2002 को पारित किया यह आश्चर्य का विषय है कि सूचना का अधिकार विधेयक भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बहुत देर में अस्तित्व में आया।

देखा जाये तो सूचना की स्वतंत्रा अधिनियम 2002 में कई खामियाँ थी और यह पारदर्शी प्रशासन के नाम पर सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर रह गया। मई 2004 में कांग्रेस और वामपन्थियों की संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार सत्ता में आई। संप्रग सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से यह वादा किया कि वे एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के लिए कटिबद्व है। सरकार ने अपने वायदों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए श्रीमति सोनिया गाँधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति और अन्य सामाजिक संगठनों की सहायक से सूचना का अधिकार कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के पास भेजा गया। संप्रग सरकार ने 23 दिसम्बर 2004 को इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। लोकसभा में एक लम्बी बहस के बाद 11 मई, 2005 को 146 संशोधनों के साथ सूचना के अधिकार का यह बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया। राज्यसभा में भी इसे अगले दिन पास कर दिया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के 120 दिनों की अवधि पूरी होने के पश्चात अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 को यह कानून समान रूप से सम्पूर्ण देश में लागू हो गया।[4]

सन् 1997 में सूचना का अधिकार के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कोशिशें शुरू कि गई थी केन्द्रीय सरकार ने सूचना की आजादी पर कानून तैयार करने के लिए एच.डी. शौरी की अध्यक्ष एक कार्य समूह का गठन किया था शौरी समिति की रिपोर्ट और मसौदा कानून वर्ष 1997 में प्रकाषित किये गये थे शौरी समिति के मसौदा कानून को लगातार दो सरकारों ने पारित भी किया था। परन्तु संसद में पेश नहीं किया गया था इसी बीच श्री राम जेठ मलानी तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने नागरिकों को अपनी मंत्रालय की फाईलों को निरीक्षण करने और फोटो कॉपी प्राप्त करने का अधिकार देने के लिए एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था परन्तु तत्कालीन केबिनेट सचिव ने इस आदेश को लागू करने की इजाजत नहीं दी थी शौरी समिति के मसौदा कानून में बदलाव कर इस सूचना की आजादी विधेयक 2000 नाम दिया गया था यह विधेयक गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया गया था। स्थाई समिति ने जुलाई 2001 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सिविल सोसायटी के समुह से विचार विमर्ष किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को सिविल सोसायटी द्वारा उठाये गये बिन्दूओं को मसौदा विधेयक में जगह दी जानी चाहिए परन्तु सरकार द्वारा विधेयक के अंतिम प्रारूप में इन बिन्दूओं को सम्मिलित नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सूचना की आजादी विधेयक 2000 संसद में वर्ष 2002 में प्रस्तुत किया गया था यह विधेयक दिसम्बर–2002 में पारित किया गया और जनवरी 2003 में राष्ट्रपति से सूचना की आजादी अधिनियम 2002 के रूप में सहमति प्राप्त हुई थी। इस विधेयक को लागू किये जाने की तारीख तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया था। जिस कारण इसे वास्तव में लागू नहीं किया जा सका। 2004 में यूपीए सरकार ने सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देख रेख के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) का गठन किया गया था। एन. ए. सी. ने आर. टी. आई. में दिलचस्पी दिखाई और इस की पहली बैठक में ही आर. टी. आई. कानून को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई थी।[5]

इसी बीच एडवोकेट प्रशांत भूषण ने नागरिकों को सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान की और से एक जनहित याचिका दायर की और मांग की गई थी कि सूचना की आजादी अधिनियम 2002 को तत्काल लागू किया जाये। इस मामले पर 20 जुलाई 2004 को उच्चतम न्यायलय में सुनवाई हुई थी उच्चतम न्यायलय ने केन्द्र सरकार को यह जवाब देने के लिए 15 सितम्बर 2004 की समय सीमा तय की थी कि यह अधिनियम कब अधिसूचित किया जायेगा और यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो अंतरिम प्रशासनिक दिशानिर्देश कब जारी किये जायेंगे। इसी बीच 12 अगस्त 2004 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने आखिर का सूचना की आजादी अधिनियम 2002 के अधीन मसौदा नियमावली जारी कर दी थी। इस बीच एन. ए. सी. ने 14 अगस्त 2005 को हुई अपनी तीसरी बैठक में सूचना की आजादी अधिनियम 2002 को संशोधित करने सम्बन्धित अंतिम सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी तत्पष्चात एन. ए. सी. द्वारा यह संशोधित विधेयक प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया था। आखिरकार 23 दिसम्बर 2004 को सूचना का अधिकार विधेयक 2004 शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश कर दिया गया था संसद ने यह विधेयक कार्मिक जन शिकायत, विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थाई समिति को विचार के लिए भेज दिया था इस समिति की रिपोर्ट सूचना का अधिकार विधेयक प्रस्तावित, संशोधित पाठ सहित 21 मार्च 2005 को लोकसभा में पेश कर दिया गया था। अतः लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को और राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को यह विधेयक अनुमोदित कर दिया गया था। महामहिम राष्ट्रपति ए.पी. जे. अब्दुल कलाम ने 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर अपनी मोहर लगा दी थी। राष्ट्रपति की सहमति के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को यह विधेयक पूरी तरह से लागू करने के लिए 120 दिनों का समय दिया गया था यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से औपचारिक रूप लागू किया गया था।[6] अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ ही यह कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो चुका हैं।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियय 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना आयोग का गठन कर सरकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने के दायित्व से बाहरी बोझ कम होगा। इसलिए इस अधिनियम के सम्बन्ध में कहा गया है कि इस कानून का उद्धेश्य सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना और कार्य कुशलता को बेहतर करना है। इस अधिकार से देश में लोकतन्त्र की नींव मजबूत होगी। इसका उद्धेश्य नागरिकों और सरकार की प्रक्रिया के बीच एक सेतु बनाना है न कि सार्वजनिक प्रशासन को ठप्प करना, सूचना का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

अंत टिप्पणी

1. *सूचना का अधिकार अंक विधान बोधनी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय जयपुर प्रकाशन जुलाई 2007, पृष्ठ संख्या*
2. *शेण्डे हरिदास रामजी (सुदर्षन) आम आदमी का संवैधानिक हथियार, सूचना का अधिकार, अनु प्रकाशन 2011, पृष्ठ संख्या 17–18,*
3. *सिंह मनोज सूचना का अधिकार,, आकाश गंगा प्रकाशन–2011, पृष्ठ संख्या 59–60,*
4. *सिंह मनोज , सूचना का अधिकार, आकाश गंगा प्रकाशन–2011, पृष्ठ संख्या 61–62,*
5. *भुटानी सुनिल , सूचना का अधिकार पारदर्षिता की ओर अग्रसर, पेन्सी बुक्स नई दिल्ली प्रकाशन 2010, पृष्ठ संख्या 24–25,*
6. *भुटानी सुनिल , सूचना का अधिकार पारदर्षिता की ओर अग्रसर, पेन्सी बुक्स नई दिल्ली प्रकाशन 2010, पृष्ठ संख्या–25,*